न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—147/2018 प्रार्थना पत्र
श्री रवि पिता श्यामलाल सुखवाल—ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रार्थी

बनाम

1—श्रीमति भाग्यवती पत्नि कैलाश चन्द्र कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—श्री सुग्रीवसिंह पिता रघुरामसिंह राणावत, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री अनिरूद्व सिंह पिता रघुरामसिंह राणावत, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—06.05.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कारोईकंला सील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 5173/1330, 8174/1330 कुल किता 2 बा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 5132/1330 रकबा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। क्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 4 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का ारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा नी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त जियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय बत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में हने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 5173/1330, 8174/1330 कुल किता 2 रकबा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 5132/1330 रकबा 10 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, कारोईकंला को 250/–रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner